

अर्द्धकुम्भ मेला 2018-19 / वित्तीय स्वीकृति
संख्या-3700 / 9-1-2017-23 मेला / 2017

प्रेषक,
मनोज कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
जिलाधिकारी
इलाहाबाद।

नगर विकास अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक 10 अगस्त, 2017

विषय : अर्द्धकुम्भ मेला 2019 हेतु जनपद इलाहाबाद में मोती लाल नेहरू रिजनल इंजीनियरिंग कालेज के निकट उत्तर रेलवे के इलाहाबाद लखनऊ रेल खण्ड स्थित रेल समपार संख्या-74ए/2ई पर एवं लाउदर रोड पर रेलवे स्टेशन के समीप पूर्वोत्तर रेलवे के इलाहाबाद वाराणसी रेल खण्ड पर स्थित रेल समपार सं०-टी/1बी पर 02 उपरिगामी सेतु निर्माण हेतु प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अर्द्धकुम्भ मेला 2019 हेतु उपरोक्त उपरिगामी सेतु निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को उनके सम्मुख अंकित लागत कमरा धनराशि रु०- 2970.93 लाख एवं रु०-4913.62 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त के सापेक्ष कमरा धनराशि रु०-1188.37 लाख (रुपये ग्यारह करोड़ अठ्ठासी लाख सैंतिसहजार मात्र) एवं रु०-1965.44 लाख (रुपये उन्नीस करोड़ पैंसठ लाख चवालिस हजार मात्र) श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र० सं०	परियोजना का नाम/विवरण	व्यय समिति अनुमोदित (लाख रु०में)	वित्त से लागत (लाख रु०में)	स्वीकृति धनराशि (लाख रु०में)
1	जनपद इलाहाबाद में मोती लाल नेहरू रिजनल इंजीनियरिंग कालेज के निकट उत्तर रेलवे के इलाहाबाद लखनऊ रेल खण्ड स्थित रेल समपार संख्या-74ए/2ई पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण।	2970.93		1188.37
2	जनपद इलाहाबाद में लाउदर रोड पर रेलवे स्टेशन के समीप पूर्वोत्तर रेलवे के इलाहाबाद वाराणसी रेल खण्ड पर स्थित रेल समपार सं०-टी/1बी पर 02 रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण।	4913.62		1965.44

- (1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय 12 प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (2) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रशासकीय विभाग (लोक निर्माण विभाग) की होगी तथा प्रशासकीय विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

RKGO

पी० सी० वर्मा

सहायक अभियन्ता

सेतु निर्माण विभाग

5.6
12/8/17

- (3) स्वीकृति धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (4) प्रशंगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।
- (5) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
- (6) सेन्टेज की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत /आवंटिट की जा रही धनराशि के सामेक्ष ही भुगतान/जमा की जायेगी।
- (7) यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।
- (8) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
- (9) प्रायोजना में पेड़ों के काटने हेतु धनराशि प्रस्तावित की गयी है। अतः प्रायोजना के निर्माण से पूर्व इस संबंध में वन विभाग एवं पर्यावरण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- (10) प्रायोजना में प्रस्तावित उपरिगामी सेतु के निर्माण हेतु रेलवे, सेना मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं दैनिक आदि प्रेस की भूमि ली जानी प्रस्तावित है। अतः इस संबंध में प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व इन विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाय।
- (11) प्रायोजना में यूटीलिटी शिफ्टिंग यथा-विद्युत लाइन, पेड़ों के काटने, जलापूर्ति की पाइप लाइन की शिफ्टिंग हेतु धनराशि का प्राविधान किया गया है। अतः इन विभागों द्वारा इन कार्यों का विस्तृत आगणन गठित किया जाय। इस विस्तृत आगणन के आधार पर वास्तविक धनराशि देय होगी तथा इस विस्तृत आगणन पर सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाय।
- (12) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अर्द्धकुम्भ मेला में आने वाले श्रद्धालुओं हेतु वांछित अवसरचनाओं, सेवाओं एवं सुविधाओं का आकलन कर उसका समुचित समावेश किये जाने के साथ ही महिलाओं एवं निशक्त व्यक्तियों की संरक्षा एवं सुरक्षा हेतु आवश्यकत विशिष्ट मूलभूत सुविधाओं का समावेश कर लिया गया है तथा अर्द्धकुम्भ मेला में आने वाले श्रद्धालुओं के कारण पर्यावरण एवं पारिस्थिति को होने वाली क्षति को रोकने/दूर करने एवं प्रदूषण को कम किये जाने हेतु भी आवश्यक प्रबन्ध कर लिये गये हैं।
- (13) प्रायोजना का कार्य अर्द्धकुम्भ मेला की धनराशि से कराये जाने के संबंध में आवश्यकता एवं औचित्य का उल्लेख करते हुए औचित्यपूर्ण तथ्यात्मक विवरण के साथ अर्द्धकुम्भ मेला की धनराशि से इस कार्य को कराये जाने की अपरिहार्यता के संबंध में सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जाय।
- (14) रेलवे विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रायोजना का कार्य सितम्बर, 2018 तक अवश्य पूर्ण किये जाने पर सहमति प्राप्त किये जाने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
- (15) विभाग द्वारा सेतु के वित्तपोषण में रेलवे के सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी।
- (16) प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग नियोजन विभाग द्वारा प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्रा व दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं का निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/प्रशासनिक विभाग होगा।
- (17) प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग नियोजन विभाग द्वारा प्रायोजना की लागत का आकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। अतः।

RKGO

पी० सी० वर्मा
सहायक अभियन्ता
सेतु निर्माण इकाई, इलाहाबाद (प्रथम)

- प्रायोजना से सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य पारम्भ कराया जाय।
- (18) प्रायोजना में भूमि अध्याप्ति हेतु प्रस्तावित लागत के संबंध में जिलाधिकारी, इलाहाबाद द्वारा परीक्षण कर यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि रेल उपरिगामी सेतु हेतु अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि राजकीय आस्थान की तो नहीं है। यदि अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि राजकीय आस्थान की नहीं है तो भूमि अधिग्रहण के समय जिलाधिकारी, इलाहाबाद द्वारा गठित समिति की संस्तुति के आधार पर भूमि अध्याप्ति हेतु वास्तविक धनराशि देय होगी तथा भूमि अध्याप्ति न्यूनतम आवश्यकता के अनुसार सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर प्रशासनिक विभाग द्वारा अपने उत्तरदायित्व पर किया जायेगा।
- (19) प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग नियोजन विभाग द्वारा आगणन का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुए किया गया है। आर0ओ0बी0 निर्माण की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, आर0ई0वाल एबेटमेन्ट आदि में परिवर्धन/परिवर्तन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। अनुमोदित कार्यों की तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर प्रशासकीय विभाग द्वारा 03 माह के अन्दर समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।
- (20) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व प्रशासकीय विभाग (लोक निर्माण विभाग) द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
- (21) वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 के प्रस्तर-2(12)(क) अनुसार निर्धारित मानकानुसार उपयुक्त भूमि की निर्विवाद रूप से उपलब्धता सुनिश्चित होने पर निर्माण कार्य के लिए स्वीकृति जारी की जाय।
- (22) कार्यदायी संस्था के चयन पर सक्षम स्तर का अनुमोदन अपने स्तर से प्राप्त कर लेंगे।
- 2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या 37 के पूंजीलेखा के लेखाशीर्षक 4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-06-अर्द्धकुम्भ मेला 2019, इलाहाबाद-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
- 3- उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-8-976/दस-2017, दिनांक 10 अगस्त, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

RKGO

पी० सी० वर्मा
सहायक अभियन्ता
सेतु निर्माण इकाई, इलाहाबाद (प्रथम)

संख्या-3700 (1)/9-1-2017, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन।
3. आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद।
4. कोषाधिकारी, इलाहाबाद।
5. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ०प्र०, इलाहाबाद।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/ वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1/2
7. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
8. नगर विकास अनुभाग-5
9. कम्प्यूटर सेल को नगर विकास विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से.

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

पी० सी० वर्मा

सहायक अभियन्ता

सेतु निर्माण इकाई, इलाहाबाद (प्रथम)